OPPO A15s
2026/08/11 17:27

SUMMERY TRIAL UNDER SECTION 274 OR 275 OF THE BNSS in the court of Shohanlal Bhagora JUDICIAL MAJISTRATRE FIRST CLASS Petlawad Dist. Jhabua

case no 450 Of 2026 complaint or report made on

name and address of the complaint म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र/आबकारी वृत्त पेटलावद

आप दिनांक 20-7-26 को समय 1-30 P.M. बजे या उसके लगभग, स्थान .... अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के .... रखे/परिवहन/बेचते हुए पाये गये।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 34(1-क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध हैं जो इस न्यायालय के संज्ञान है। आप उक्त अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

Shohanlal Bhagora
Judicial Magistrate First Class
Petlawad, District Jhabua (m.p)

जुर्म स्वेच्छया से स्वीकार है।

Shohanlal Bhagora
Judicial Magistrate First Class
Petlawad, District Jhabua (m.p)

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause or clause (g), of sub-section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the ottence has been.

निर्णय

(आज दिनांक 11-08-26 को घोषित किया।)

1— आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1—क) म0.प्र0. आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2— आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा के तहत पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध होने से अपराध की विशिष्टियां आरोपी को सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। इस समरी शीट के आगे अपराध विवरण विरचित कर प्ली अंकित की गई।

3— आरोपी द्वारा अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार करने से आरोपी के विरूद्ध पृथक से अपराध साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने आगे अपराध विवरण में विरचित उक्त अपराध कारित किया है।

4— आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति को देखते हुए आरोपी को धारा 34(1—क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000/—शब्दों में (एक हजार रुपये मात्र) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी को उक्त धारा में 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

5— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा आबकारी वृत्त पेटलावद( ) को लोटाई जाये/मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(सोहनलाल भगोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेटलावद, जिला झाबुआ

मेरे निर्देशन में टंकित।

(सोहनलाल भगोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेटलावद, जिला झाबुआ